

महिला कर्मचारियों एवं छात्रों के लैंगिक उत्पीड़न का निराकरण, निषेध एवं सुधार  
द्वितीय बैठक कार्यवृत्त (22 नवंबर 2021)

दिनांक 22 नवम्बर, 2021 (सोमवार) को पीठासीन अधिकारी, प्रोफेसर रेनु प्रकाश की अध्यक्षता में प्रातः 11.30 बजे विश्वविद्यालय सभागार में सम्पन्न आन्तरिक शिकायत समिति (महिला कर्मचारियों एवं छात्रों को लैंगिक उत्पीड़न के निराकरण निषेध एवं सुधार) की सत्र 2021 की द्वितीय बैठक का कार्यवृत्त।

बैठक में निम्न ने प्रतिभाग किया:-

- |                          |   |   |
|--------------------------|---|---|
| 1. प्रोफेसर रेनु प्रकाश  | - | पीठासीन अधिकारी                             |
| 2. डॉ० डिगर सिंह         | - | सदस्य                                       |
| 3. श्रीमती कनक चन्द्र    | - | मनोनीत सदस्य                                |
| 4. श्री मोहित रावत       | - | सदस्य                                       |
| 5. श्रीमती दीपा फुलारा   | - | सदस्य                                       |
| 6. श्री विमल चौहान       | - | सदस्य                                       |
| 7. श्रीमती रुचिता तिवारी | - | वित्तीय परामर्शक (ऑनलाइन प्रतिभाग किया गया) |
| 8. डॉ० सीता              | - | मनोवैज्ञानिक परामर्शक                       |
| 9. सुश्री योगिता बनीला   | - | आमंत्रित सदस्य                              |
| 10. डॉ० रुचि तिवारी      | - | आमंत्रित सदस्य                              |
| 11. डॉ० नमिता वर्मा      | - | आमंत्रित सदस्य                              |

सर्वप्रथम डॉ० डिगर सिंह (सदस्य, आन्तरिक शिकायत समिति) द्वारा पीठासीन अधिकार एवं सभागार में उपस्थित समस्त सदस्यों/आमंत्रित सदस्यों का आन्तरिक शिकायत समिति की द्वितीय बैठक में स्वागत किया गया। डॉ० सिंह द्वारा विशेष रूप से बाह्य सदस्य श्रीमती कनक चन्द्र का आभार व्यक्त किया गया कि उन्होंने अपना बहुमूल्य समय निकालकर बैठक में प्रतिभाग किया गया।

तत्पश्चात पीठासीन अधिकारी, प्रोफेसर रेनु प्रकाश द्वारा पुनः बैठक में उपस्थित समस्त बाह्य एवं आन्तरिक सदस्यों/आमंत्रित सदस्यों का स्वागत करते हुए बैठक की कार्यसूची, उद्देश्य एवं आगामी कार्य विधियों को विस्तार से आन्तरिक शिकायत समिति के सम्मुख प्रस्तुत किया गया। आन्तरिक शिकायत समिति द्वारा कार्यसूची में प्रस्तुत बिन्दुओं का अवलोकन कर निम्नानुसार संस्तुति की गयी:-

1. पीठासीन अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि आन्तरिक शिकायत समिति द्वारा आगामी माह दिसम्बर, 2021 में विश्वविद्यालय मुख्यालय में एक कार्यशाला का आयोजन किया जाना प्रस्तावित है। कार्यशाला आयोजित किये जाने का मुख्य उद्देश्य विश्वविद्यालय में कार्यरत महिला कर्मचारियों एवं अध्ययनरत

महिला कर्मचारियों एवं छात्रों के लैंगिक उत्पीड़न का निराकरण, निषेध एवं सुधार  
द्वितीय बैठक कार्यवृत्त (22 नवंबर 2021)

शिक्षार्थियों को लैंगिक उत्पीड़न के निराकरण निषेध एवं सुधार हेतु अपने अधिकारों के प्रति जागरूक किया जाना है।

2. समिति द्वारा यह भी संस्तुति की गयी कि आन्तरिक शिकायत समिति के अर्न्तगत "महिला परामर्श प्रकोष्ठ" (Women Counselling Cell) की स्थापना अतिशीघ्र की जायेगी।
3. आन्तरिक शिकायत समिति द्वारा विश्वविद्यालय में कार्यरत महिला कर्मचारियों को किस प्रकार अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता है तथा विश्वविद्यालय द्वारा महिलाओं को देय सुविधाओं पर भी विस्तार से विचार-विमर्श किया गया।

बैठक के अन्त में कतिपय सदस्यों द्वारा विश्वविद्यालय में गठित आन्तरिक शिकायत समिति को और अधिक सुदृढ बनाये जाने हेतु निम्नानुसार सुझाव प्रस्तुत किये गये जिस पर समिति द्वारा सर्वसम्मति से संस्तुति प्रदान की गयी:-


1. बाह्य सदस्य (गैर सरकारी संगठन प्रतिनिधि) श्रीमती कनक चन्द्र, संचालिका आनन्द आश्रम द्वारा मत व्यक्त किया गया कि वर्तमान समय में महिलाओं को आत्मरक्षा (Self Defence) के बारे में जानकारी होना अति आवश्यक है ताकि विषय परिस्थितियों में महिलाएं स्वयं की रक्षा कर सकें। अतः यदि सम्भव हो तो आन्तरिक शिकायत समिति द्वारा विश्वविद्यालय स्तर पर महिलाओं के लिए आत्मरक्षा से संबंधित प्रशिक्षण आदि की व्यवस्था की जाय जिसमें समय-समय पर बाह्य विषय-विशेषज्ञों की भी सहायता ली जा सकती है। श्रीमती कनक चन्द्र द्वारा आश्वस्त किया गया कि यदि समिति को उनके किसी भी प्रकार के सहयोग की आवश्यकता होगी तो वह सदैव पूर्णरूप से अपनी सहभागिता प्रस्तुत करेंगी। समिति द्वारा श्रीमती कनक चन्द्र का इस हेतु प्रशंसा करते हुए आभार व्यक्त किया गया।
2. श्रीमती रुचिता तिवारी, विलत नियंत्रक, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा मत व्यक्त किया गया कि कार्यस्थल पर महिलाओं के लिए उपलब्ध वांशरूम आदि की स्वच्छता की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए ताकि महिलाओं को स्वास्थ्य संबंधी कठिनाईयों का सामना न करना पड़े।
3. डॉ० सीता, मनोवैज्ञानिक परामर्शक द्वारा मत व्यक्त किया गया कि महिलाओं को और अधिक सशक्त एवं शिक्षित किये जाने की आवश्यकता है ताकि महिलाएं अपने अधिकार एवं कर्तव्यों के प्रति जागरूक हो सकें। आन्तरिक शिकायत समिति द्वारा बृहद स्तर पर महिलाओं को परस्पर जोड़े जाने की ओर अधिक प्रयास किये जाने चाहिए ताकि महिलाएं एक-दूसरे से अपने अनुभव सांझा कर सकें। साथ ही मानसिक तनाव को कम करने लिए समय-समय पर इस हेतु व्याख्यान आदि का भी आयोजन किया जाना चाहिए जिससे महिला एवं पुरुष सभी को इस समस्या से निराकरण के उपायों की जानकारी दी जा सके।
4. श्री विमल चौहान द्वारा विश्वविद्यालय में गठित आन्तरिक शिकायत समिति का और अधिक प्रचार-प्रसार हेतु विश्वविद्यालय में जगह-जगह पर होर्डिंग आदि लगाये जाने का मत व्यक्त किया गया।


महिला कर्मचारियों एवं छात्रों के लैंगिक उत्पीड़न का निराकरण, निषेध एवं सुधार  
द्वितीय बैठक कार्यवृत्त (22 नवंबर 2021)

पीठासीन अधिकारी, प्रोफेसर रेनु प्रकाश द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुत किये गये सुझावों की सराहना करते हुए इन पर अतिशीघ्र कार्यवाही किये जाने हेतु आश्वस्त किया गया।

बैठक की कार्यसूची में सूचीबद्ध सभी प्रस्तावों पर विचार-विमर्श एवं संस्तुति के उपरान्त डॉ० डिगर सिंह द्वारा सभी सदस्यों के प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया गया।

अन्त में अध्यक्ष (पीठासीन अधिकारी) के प्रति धन्यवाद ज्ञापित कर बैठक सम्पन्न हुई।

  
(प्रोफेसर रेनु प्रकाश)  
पीठासीन अधिकारी  
आन्तरिक शिकायत समिति,  
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी

  
(डॉ० डिगर सिंह)  
सदस्य  
आन्तरिक शिकायत समिति,  
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी

### द्वितीय बैठक के छायाचित्र



महिला कर्मचारियों एवं छात्रों के लैंगिक उत्पीड़न का निराकरण, निषेध एवं सुधार  
द्वितीय बैठक कार्यवृत्त (22 नवंबर 2021)

---

